

सेवा: 9 म

श्रीमान जनसूचना अधिकारी गैल नोस्टा

विकास अधिकरण जनपद - गौतम बुद्ध नगर

उत्तर प्रदेश

29836

27-4-22

विषय -

सूचना अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराने का कठोर

महोदय:- निवेदन यह है कि मे प्रार्थी प्रमोद सिंह 5% स्व लाभकरण

R.T.I-20522  
PIO-LAND  
28.4.22

ग्राम व पोस्ट - मांयन्दा तह- दादरी जि. - गौतम बुद्ध नगर (उत्तर)  
खता संख्या - 543 व खसरा संख्या - 1234 में जिसका रकबा 1.5820 है। उसमें से 2500 वर्ग मी. आबादी सहमति के आधार पर पट्टा उल्लेख द्वारा हटा दी गयी थी। जो कि आपके नकशे में दर्ज है। अंत - 2500 मी आबादी का मेरे मुलाकात भी नहीं उठाया था। मेरे 2018 में रा. डाली थी। उसके अलावा भी आपने अंत 2500 मी. आबादी पट्टा उल्लेख द्वारा हटाने की बात कही है।

- (1) श्रीमान जी उसके बाद भी मुझे 21-2-2022 को मेरी 2500 वर्ग मी आबादी के अवेध खतकट द्वारा -10 का नोटिस के मा भेजा जाता है
- (2) मेरी आबादी को 2500 मी खसरा संख्या - 1234 में ही बनी हुई है व 2500 मी से आगे 1 मी भी जमादा है तो आप लेवजह के व मेरी जमीन की पैमाइश करीब व लीड प्लान तैयार कर के काब तक मिल जायेगी।
- (3) श्रीमान जी मेरा निवेदन है कि मुझे व मेरी परिवार को लेवजह के मा प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे खसरा संख्या - 1234 के साथ साथ आप 1236, 1237, 1238 को पैमाइश कराल जहा आपकी जमीन है वहा नोटिस भेजे। मुझे लेवजह के मा परेशान किया जा रहा है करीब धारा -10 का नोटि व करीब मेरे खिलाफ F.I.R दर्ज करीब

PIO land  
28/4/22

संलग्न:-

- (1) दस नकद का पोस्ट ऑर्डर नं 44F 229346 5% लाभकर
- (2) पिछली RTI की कॉपी

Praveen

ग्राम पोस्ट - मांयन्दा  
गौतम बुद्ध नगर